

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 8(2) राज/वाद/12 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 31-3-2021

:: आदेश ::

विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) जैसलमेर में राज्य सरकार की ओर से समुचित एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग का विशिष्ट लोक अभियोजक एवं इनके कार्यालय हेतु स्टाफ के पद बजट मद 2014-00-114-01-00-01 प्रतिबद्ध में निम्नानुसार सृजन करने की एतद्वारा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बेंड/ग्रेड पे/पे-लेवल
1	विशिष्ट लोक अभियोजक, (अजा/अजजा), जैसलमेर	01	रू0 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	कनिष्ठ सहायक	01	5200-20200 ग्रेड पे-2400/- एल- 5
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	5200-20200 ग्रेड पे -1700/- एल-1

उक्त कार्यालय हेतु निम्नांकित नवीन आईटम हेतु वित्त वर्ष 2021-2022 में लेखामद 2014-00-114-01-00-05 कार्यालय व्यय में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क0सं0	फर्नीचर का नाम	संख्या	दर प्रति नग	राशि
1	टेबिल	02	7000/-	14000/-
2	कुर्सी	08	2000/-	16000/-
3	आलमारी	02	10000/-	20000/-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	-	-	10000/-
			कुल योग	60,000/-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं नियमानुसार उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 102101123 दिनांक 31.03.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, (अजा/अजजा), जैसलमेर।
7. विशिष्ट शासन सचिव, गृह(विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
8. जिला कलक्टर, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आईटम आगामी वित्त वर्ष में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करायें।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जैसलमेर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि